संख्या-50/2021/798/22-2-2021-17(202)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2021***

विषय:-आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2021) के अवसर पर जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री जिमिदार सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4506/प्रोवेशन-6/147-पार्ट-ii दिनांक 23-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री जिमिदार सिंह, जो ग्राम-इटहुआ, थाना-फखरपुर, जनपद-बहराइच का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश को लेकर दिनांक 03.09.1996 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांता, लाठी, तमंचा व बन्दूक से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी तथा 02 व्यक्तियों को घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-106/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 323, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच के आदेश दिनांक 06.12.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2003 द्वारा यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित क्यूरेटिव पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 12.09.2018 द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 17 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा बन्दी जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री जिमिदार सिंह का गांव वादी के गांव से 500 मी0 की दूरी पर होने के कारण समयपूर्व रिहाई होने पर कोई भी अप्रिय घटना घटित होने तथा समाज में न्याय के प्रति अविश्वास की भावना जागृत होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश को लेकर दिनांक 03.09.1996 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांता, लाठी, तमंचा व बन्दूक से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी तथा 02 व्यक्तियों को घायल किया गया, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच की आख्या के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: रिट पिटीशन संख्या-6273 (एम**0**बी**0**)/2020 जगन्नाथ सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में **मा0 उच्च न्यायालय**, **लखनऊ खण्डपीठ**, **लखनऊ** द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के समादर में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जगन्नाथ सिंह (बन्दी संख्या-39/15) पुत्र श्री जिमिदार सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2021/798(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, बलरामपुर।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in